भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 764003

ट्रस्ट डीड

एस0. पी0. एम0. एजूकेशनल ट्रस्ट

हम कि श्रीप्रकाश पाण्डेय एडवोकेट पुत्र स्व0 भवानी प्रसाद पाण्डेय निवासी–381 आम बाजार, पो0–आरोग्य मंदिर, तहसील सदर, जिला–गोरखपुर का निवासी हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। हम मुकिर की यह हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। जनहित में उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उसके लिए अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज के लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनो की व्यवस्था के बावत रू0 10001 (दस हजार एक रूपये मात्र) का एक न्यास कोष स्थपित कर दिया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगें। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध, व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी–

1. ट्रस्ट का नाम –

यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम "एस0. पी0. एम0. एजुकेशनल ट्रस्ट" होगा जिसे न्यास–पत्र में आगे ट्रस्ट से सम्बोधित किया गया है। यह ट्रस्ट एस0. पी0. एम0. कालेज ऑफ एजुकेशन नाम से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विभिन्न संस्थान संचालित कर सकेगा। ट्रस्ट के समस्त क्रिया कलाप लोकतांत्रिक पद्धति से सम्पादित किए जायेंगे। ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियां एक व्यक्ति या एक परिवार के नियंत्रण में संचालित नहीं होंगीं।

2. ट्रस्ट का पता –

यह कि मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय पोखर भिण्डा उर्फ करीमनगर, चरगाँवा, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 456065

जायेगी ओर उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा तथा एस0. पी0. एम0. कालेज आफ एजुकेशन की स्थापना की जाएगी।

3. ट्रस्ट का संगठन –

यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक एवं मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर के द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते है।. इस प्रकार नामित व्यक्तियो को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या 5 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है –

1. माधवी पुत्री लल्लन ओझा निवासी–गोखरमीण्डा उर्फ करीमनगर, गोरखपुर।
2. शार्दूल मोहन पाण्डेय पुत्र श्रीप्रकाश पाण्डेय निवासी–381 आम बाजार, बशारतपुर, गोरखपुर।
3. श्रीमती प्रियंका शुक्ला पत्नी डॉ0 के0एन0 शुक्ला, शिवाजी नगर, आजाद चौक, गोरखपुर।
4. अमरेन्द्र मोहन पाण्डेय पुत्र श्रीप्रकाश पाण्डेय निवासी–381 आम बाजार, बशारतपुर, गोरखपुर।
5. प्रतिमा पाण्डेय पुत्री श्रीप्रकाश पाण्डेय निवासी–381 आम बाजार, बशारतपुर, गोरखपुर।
6. नम्रता मणि त्रिपाठी पुत्री नरेन्द्र मणि त्रिपाठी निवासी–नन्दापार, खजुरिया, महराजगंज।

4. ट्रस्ट के उद्देश्य–

यह कि हम मुकिर द्वारा "एस0 पी0 एम0 एजुकेशनल सोसाईटी " के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. सामाजिक एवं जन विकास हेतु सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना पालिटेक्निक, आई. टी.आई., इंजिनियरिंग, मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों एवं उनके उपचार हेतु शैक्षणिक कार्य जैसे पैरामेडिकल, मेडिकल एवं डेण्टल कालेज आदि, प्रबंधन संस्थान, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान, सूचना विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, टेक्नोलाजी एवं बायोटेक्नोलाजी आदि के क्षेत्र में कार्य करना तथा राज्य सरकार के अधीन सृजित विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत पंजीयन कराना एवं संचालित करने हेतु मान्यता प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 456066

3. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड केयर, नर्सरी, प्राइमरी, केन्द, राज्य सरकार एवं अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन पूर्व माध्यमिक एवं इन्टर कालेजों की स्थापना करना।
4. शिक्षा प्रचार / प्रसार / उन्नयन / प्रबन्धन तथा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा / गैर तकनिकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षण शिक्षा के महाविद्यालय स्थापित करना।
5. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व विधिक रूप से स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों के आधीन व उससे सम्बद्धता प्राप्त कर विभिन्न संकाय के शिक्षण के बावत महाविद्यालयो की स्थापना करना तथा उसका संचालन यू0पी0 स्टेट युनिवर्सिटीज एक्ट 1973 फर्स्ट इन्स्टीच्यूट आफ गोरखपुर युनिवर्सिटीज में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करना तथा इस प्रकार संचालित महाविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार प्रशासन योजना तैयार करके विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराना और स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुरूप महाविद्यालय का संचालन करना।
6. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंक, पी0सी0एस0 आदि प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाले आय से ट्रस्ट का पोषण करना।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध कराना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोचिंग, अनुसंधान एवं शोध केन्द की स्थापना एवं संचालन करना।
8. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग, सेवा उद्योग, लघु उद्योग एवं सभी प्रकार के प्रशिक्षण हेतु आई0 टी0 आई0 कालेज की व्यवस्था एवं संचालन कराना।
9. समुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द, बारात घर, धर्मशाला, शुलभ शौचालय चिकित्सालय, पुस्तकालय, छात्रावास, बोर्डिंग–लाजिंग, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द, आंगनबाड़ी बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल आदि की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 456067

10. वृद्धा आश्रम, महिला संरक्षण गृह, अनाथालय, सुधारालय की स्थापना करना।

11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आय हेतु चल एवं अचल सम्पत्तियों का बेहतर रख–रखाव करना तथा उसका विकास करना।

12. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा, भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

13. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्धविश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बालाश्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति, छुआ–छूत एवं स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

14. महिला एवं बाल यौन उत्पीड़न, युवतियों की खरीद फरोख्त, पारिवारिक कलह, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति आदि से मुक्ति दिलाना । इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

15. विभिन्न प्रकार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना तथा इसके लिए सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

16. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता, प्रशिक्षण, दवा और किट वितरण करना, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना, रक्त दान शिविर का आयोजन करना।

17. एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, नेत्र शिविर, हैपटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी / रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना।

18. ट्रस्ट मण्डल की सहमति से किसी असहाय शिक्षण संस्था, उद्योग या अन्य इकाई जो ट्रस्ट के हित में हो ट्रस्ट उसे नियमानुसार खरीद सकता है अथवा ट्रस्ट अपनी किसी इकाई को बेच सकता है।

19. किसी अन्य सरकारी, गैर सरकारी एसोसिएशन अथवा ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना या लेना तथा उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना एवं लेना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 456068

20. सरकारी / गैरसरकारी / अर्द्धसरकारी / जनप्रतिनिधियों / व्यक्तियों / संस्थाओं / तंत्रों / कम्पनी / दुकानों आदि से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के दान, उपहार, अनदान, ऋण,ग्रान्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है। किसी अन्य श्रोत से भी धन या सम्पत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया--कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों / प्रदेशों में भी स्थापित करना या फैलाना।
22. सरकारी / गैरसरकारी / अर्द्धसरकारी / राष्ट्रीयकृत प्राइवेट बैंकों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा विभिन्न ईकाइयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों का गठन कर उसकी नियमावली तैयार करना।
24. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क अथवा दान प्राप्त करना।
25. आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार समान उद्देश्य वाले संस्था / ट्रस्ट को हस्तान्तरित करना, लीज या किराये पर देना अथवा आवश्यकतानुसार बेचना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
26. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं और गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
27. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समितियों की देखभाल के लिए आवश्यक स्वयं सेवकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना। यदि किसी स्वयं सेवक या कर्मचारी का आचरण एवं व्यवहार ठीक न हो तो ट्रस्ट मण्डल उसे निकाल सकता है या दण्डित कर सकता है।
28. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 456069

29. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंधक ट्रस्टमण्डल के सदस्यों में से लोकतांत्रिक पद्धति से चयनित किये जायेगें। जिसमें मुख्य ट्रस्टी भी शामिल हैं। प्रबंध समिति का शेष चयन शासनादेशों एवं नियमावलियों के अनुसार होगा।

5. <u>ट्रस्ट की प्रबंन्ध व्यवस्था</u> –

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगें। मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल मे अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा एवं सचिव माधवी होंगी।
2. ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगी जिस पर मुख्य ट्रस्टी का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. मुख्य ट्रस्टी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में न्यासी माधवी को मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा।
4. ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप में ट्रस्ट के पदाधिकारी मुख्य ट्रस्टी के की देख–रेख में ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट का पंजीयन कराने के तीन माह के अन्दर निर्वाचित किये जायेंगें और उनका कार्याधिकार निश्चित की जायेगी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन तिथि से पांच वर्ष तक होगा। नये पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं कार्यभार ग्रहण करने तक पूर्व पदाधिकारी अपने–अपने पदों पर कार्य करते रहेंगें।
5. यदि किन्हीं परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किए जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है अथवा माधवी की उससे पूर्व मृत्यु हो जाती है तो न्यासी शार्दूल मोहन पाण्डेय मुख्य ट्रस्टी तथा न्यासी अमरेन्द मोहन पाण्डेय सचिव होंगें। ये दोनों अपने–अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्य करेंगें। ट्रस्ट के उद्देश्यों में गति एवं नवीनता लाने के लिए पांच वर्ष बाद ट्रस्टी अमरेन्द मोहन पाण्डेय मुख्य ट्रस्टी तथा ट्रस्टी शार्दूल मोहन पाण्डेय सचिव होंगे और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। तत्पश्चात् उनके पुत्र मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव होंगे।
6. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने की दशा में उनके स्थान की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव की देख–रेख में ट्रस्ट मण्डल द्वारा किया जायेगा।
7. ट्रस्ट में आस्था एवं समर्पित भावना रखने वाले किसी भी पुरूष अथवा महिला को मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव की सहमति से ट्रस्ट मण्डल में सम्मिलित किया जा सकता है।
8. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी जगह यदि व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 456070

9. यदि ट्रस्ट मण्डल का कोई सदस्य ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरित कार्य करता है तो ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से पश्थक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा किसी योग्य व्यक्ति का चयन कर लिया जायेगा।
10. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड के नियम एवं परिनियम के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगें तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
11. मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव दोनों ट्रस्ट मण्डल को बहुमत से समय परिस्थितियों एवं आश्यकताओं को देखते हुए ट्रस्ट के प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं।
12. ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक –
    1. ट्रस्ट मण्डल एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्ध/सचिव/प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी भी भाग लेंगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व सचिव द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में भाग न लेने वाले व्यक्ति सदस्यों को यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी के पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है। आवश्यक होने पर 24 घंटा पूर्व सूचना प्रेषित कर ट्रस्ट मण्डल की आकस्मिक बैठक कभी भी आयोजित की जा सकेगी।
    2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा तथा आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
    3. ट्रस्ट मण्डल की बैठक के लिए कुल संख्या की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी।

6. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था –
   ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

208/12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AA 620603

यह कि ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि से दान, सहायता, ऋण, चल एवं अचल सम्पत्ति आदि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी अधिकृत होंगें।

2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं संचालित करने के लिए कोई सामग्री भूमि एवं भवन (चल–अचल सम्पत्ति) का क्रय–विक्रय सचिव की राय से करेंगें। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के चल या अचल सम्पत्तियों कों किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
3. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत ये शर्तें लागू होंगी।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आय हेतु किसी चल एवं अचल सम्पत्तियों कों खरीदना, बेचना, किरायें अथवा लीज पर लेन–देन करना। मकान दुकान हाल आदि को बनवाकर बेचना, किराये पर देना। लीज अथवा मार्गेज करना आदि का निर्णय संयुक्त रूप से मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव लेंगें जिसका अनुमोदन ट्रस्ट मण्डल से कराया जाना आवश्यक होगा।

7. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था –

ट्रस्ट के कोष की रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाक घर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंकों में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के धनराशियों एवं ऋण राशियें निहित होंगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी के एकल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

8. ट्रस्ट के पदाधिकारियों का अधिकार एवं कर्तव्य –

(क) मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करना तथा समस्त बिल/बाउचरों को भुगतान हेतु सचिव को आदेशित करना।
2. ट्रस्ट के सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों जैसे– दान, ऋण आदि को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AB 772289

3. चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिकार्ड ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
4. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना।
5. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा इसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
6. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयेग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
7. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
8. मुख्य ट्रस्टी सचिव के सहमति से ट्रस्ट मण्डल के बहुमत के आधार पर समय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रस्ट के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकता है।

(ख) ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अधिकार एवं कर्तव्य –

ट्रस्ट की वार्षिक बैठक तथा अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा किसी प्रस्ताव पर ट्रस्ट मण्डल के मत विभाजन की स्थिति में अपना अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

(ग) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

ट्रस्ट के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को करना।

(घ) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट की बैठकों को मुख्य ट्रस्टी के सहमति से आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों एवं सभी पदाधिकारियों को देना।
3. बैठकों की समस्त कार्यवाही लिखना व इससे सम्बन्धित अभिलेखों को तैयार –

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AB 732290

4. ट्रस्ट के आय-व्यय की जाँच कराना, उसकी रिपोर्ट तैयार कराना तथ अनियमितताओं से मुख्य ट्रस्टी को अवगत कराना।
5. किसी अधिकृत लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर कोक्ष के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
6. संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना।
7. मुख्य ट्रस्टी द्वारा अग्रसारित समस्त बिल/बाउचरों का निरीक्षण कर भुगतान कराना और बैठक में अभिलेखों को प्रस्तुत करना।

(ङ) कोषाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
2. ट्रस्ट के धन को बैंक खाते में जमा करना।
3. ट्रस्ट के आय–व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा सचिव द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
4. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी अभिलेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

10. ट्रस्ट के अभिलेख –

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करना/कराना व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी व सचिव का होगा। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा– जोखा रजिस्टर आदि रखा जायेगा।

11. ट्रस्ट की अदालती कार्यवाही–

1. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं व विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद या अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर ट्रस्ट मण्डल का निर्णय मान्य और अन्तिम होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा न हुआ तो विवाद के लम्बित होने तक उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग करके सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्ध व्यवस्था एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित हो जायेगी जिसका संचालन ट्रस्ट मण्डल करेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AB 772291

यदि ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण का क्षेत्राधिकार केवल गोरखपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय ही होगा।

4. यह कि ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियो के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गई कार्यवाही की अपील केवल ट्रस्ट मण्डल द्वारा ही सुनी जायेगी।

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवाश बिना किसी दबाव के अपने स्वस्थ मस्तिष्क से यह दस्तावेज न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आये।

हस्ताक्षर गवाह

1. श्याम नारायण शुक्ल
एडवोकेट
दीवानी कचहरी, गोरखपुर

2. सतीश कुमार श्रीवास्तव
पुत्र स्व० शिव पूजन श्रीवास्तव
J-339 विकास नगर कालोनी
बरगदवा गोरखपुर

मजमुनकर्ता

चन्द्रप्रकाश चौधरी

चन्द्रप्रकाश चौधरी
एडवोकेट
पंजीकरण सं0 4659 / 1987
सिविल कोर्ट, गोरखपुर।

दिनांक 9-6/11/2012